न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 18/2019 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 08.01.2019.
निर्णय दिनांक– 27.06.2019

1. मु0 भुली बाई पत्नी केशुराम कुमावत, निवासी अवलेश्वर तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
2. गंगा बाई पिता नानूराम कुमावत, निवासी अवलेश्वर तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
3. कन्हैयालाल पिता केशुराम कुमावत, निवासी अवलेश्वर तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता वजेराम कुमावत निवासी अवलेश्वर तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
2. श्री वरदीचन्द पिता वजेराम कुमावत निवासी अवलेश्वर तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
3. श्री जगन्नाथ पिता वजेराम कुमावत निवासी अवलेश्वर तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
4. श्री रमेशचन्द्र पिता वजेराम कुमावत निवासी अवलेश्वर तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री कमलेश दाणी : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सुखलाल मेघवाल : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 14/2017 निर्णय दिनांक 05.05.2017

निर्णय

दिनांक– 27.06.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 14/2017 निर्णय

दिनांक 05.05.2017 के विरूद्ध दिनांक 02.08.2018 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा उसके खाते की ग्राम प्रतापगढ़ की खाता संख्या 539 में आराजी नम्बर 1759 रकबा 0.65 है0, आराजी नम्बर 1760 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 रकबा 0.75 है0 भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये, जो विधिवत तामील हुए बिना न्यायालय द्वारा कर दिनांक 05.05.2017 को एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए भूमि की पत्थरगढ़ी करके के आदेश जारी कर दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री सुखलाल मेघवाल अधिवक्ताओं की दिनांक 12.06.2019 को बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उज्र यह लिये गये कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। विपक्षी अपीलान्ट को सम्मन की विधिवत तामील नहीं हुई तथा एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया। विवादित भूमियों के संदर्भ में पक्षकारों के मध्य विवाद विद्यमान था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण तथा विवाद की विद्यमानता नहीं मानते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी ही मौके पर सीमा जानकारी होते समय हुई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण मियाद कण्डोन की जाकर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाय।

इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए कहा कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होने का कोई आधार नहीं है तथा विवाद की विद्यमानता नहीं है। रेकार्डेड खातेदार की रेकर्ड व नक्शे के अनुसार सीमा जानकारी किये जाने में कोई विधिक अनियमितता नहीं है। यदि अपीलान्ट अपना कोई हक मानते है अथवा किसी सक्षम न्यायालय से रेस्पोडेन्ट की भूमि में से कोई भूमि सक्षम आदेश से प्राप्त करते है तो तद्नुसार उन्हें भूमि प्राप्त होगी, परन्तु विद्यमान खातेदार व नक्शे के अनुसार सीमा जानकारी का आदेश किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अन्दर मियाद भी नहीं है क्योंकि जिसने शपथ पत्र दिया है, उन कन्हैयालाल को व्यक्तिगत तामील होने का कोई खण्डन नहीं है। निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट बेरून मियाद व सारहीन होने से खारिज की जाय।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम दफा 5 जा.मि. के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के आवेदन पर अपीलान्टगण को जारी समस्त सम्मन श्री कन्हैयालाल अपीलान्ट संख्या 3 द्वारा प्राप्त किये गये है, जो अपीलान्ट संख्या 1 का पुत्र है तथा स्पष्टतया अपीलान्ट संख्या 2 से भी संबंधित है तथा संबंधित नहीं होने अथवा परिवार का सदस्य नहीं होने बाबत खण्डन नहीं है। अपीलान्टगण को सम्मन की तामील होना सुस्पष्ट है तथा प्रकरण में मियाद शमन के लिए आवेदन व शपथ पत्र भी व्यक्तिगत तामील शुदा अपीलान्ट कन्हैयालाल द्वारा दिया गया है, जो स्पष्टतया मिथ्या है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.05.2017 के विरूद्ध 60 दिवस की मियाद के विरूद्ध यह अपील करीब एक वर्ष विलम्ब से पेश की गई है तथा जो कारण वर्णित किये गये है वे न तो उचित है न ही पर्याप्त, अपितु शपथ पत्र भी प्रथम दृष्टया मिथ्या है। प्रकरण में तद्नुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में जहां तक अपील के उजरात का प्रश्न है यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुसरण में रेकर्डेड खातेदार/स्वत्वधारी खातेदार की भूमि का सीमांकन किये जाने का जो विधि अनुरूप आदेश दिया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते, यदि अपीलान्ट उक्त भूमि अथवा उसके हिस्से पर काबिज है, तो वह सीमांकन से रूष्ट होने का आधार नहीं रखता ; इसके लिए उसे संबंधित विधिक प्रावधानों के तहत विधिक अनुतोष के लिए पृथक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।

(एल0 एन0 मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official